निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 111 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** के माह 10/2016 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यबीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/02/2017 से 02/03/2017 तक श्री नीरज चिरंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16/10/2015 से 30/10/2015 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **अप्रस्तुत**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन ` लाख में	व्यय ` लाख में	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	शून्य	शून्य	746.20	730.96	1826.46	1824.34	शून्य	17.36 समर्पण
2014-15	शून्य	शून्य	870.24	832.49	3318.81	3315.47	शून्य	41.09 समर्पण
2015-16	शून्य	शून्य	895.02	859.37	3096.14	3088.32	शून्य	43.47 समर्पण
2016-17 (01/2017 तक)	शून्य	शून्य	820.33	702.28	1327.48	1253.93	शून्य	191.60

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः **अप्रस्तुत**

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। शासनादेश संख्या 1413/11-2016-01 (123)/दिनांक 05.09.2016 के विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिचाई.विभाग
2. प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (स्तर-II), सिंचाई विभाग, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** के माह अक्टूबर 2015 से जनवरी 2017 तक किये गए लेन-देन की लेखापरीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यों को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सीएसएसआर के अंतर्गत जनपद देहरादून के डौईवाला विकास खंड के आस्थापथ, त्रिवेणीघाट एवं पशुलोक के आमबाग नाला का बाढ़ सुरक्षा का कार्य का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उसपर किए गए माह अक्टूबर 2015 से जनवरी 2017 के दौरान किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में एक बार किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी सितम्बर 2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 01/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 14,61,871.82

भाग द्वितीय ` 1,51,67,209.41

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह नवम्बर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 2,66,841.86

(ख) सामग्री क्रय प्रचलन में नहीं है।

(ग) नगद परिशोधन प्रचलन में नहीं है।

(घ) निक्षेप ` 52,50,263.70

ङ भण्डार ` 2,70,71,998.00

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः1- नाबार्ड के अन्तर्गत, देहराखास और विद्या विहार में नाले को भूमिगत करने के कार्य से अन्य कार्यों पर ☐ 60.12 लाख का व्ययावर्तन।

नाबार्ड के अन्तर्गत, देहरादून जनपद के रायपुर खण्ड में नाले (1.800 किलो मीटर) को भूमिगत करने की योजना को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 749/XXVII(1)/(2013) दिनांक 24.10.2013 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का प्रयोग करते हुए नाबार्ड के पत्रांक NB/SPD/3314-A/RIDF-XIX (उत्तराखण्ड) /137/PSC/23-09-2013/2013-14 दिनांक 30.09.2013 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ☐ 250.74 लाख की प्रदान की गई थी। मुख्य अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून द्वारा प्राक्कलन को ☐ 259.69 की तकनीकी स्वीकृति 14.11.2013 प्रदान की गई थी।

खण्ड के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस कार्य को जनवरी 2014 से मई 2015 के मध्य विभिन्न अनुबंधों के द्वारा संपादित कराया गया था (संलग्न)। तदनुसार, मुख्य अभियन्ता को जुलाई 2015 में कार्य समापन प्रमाण पत्र ☐ 250.74 लाख प्रस्तुत की गयी थी। कार्य समापन प्रमाण पत्र एवं फार्म-63 (मार्च 2015) के अनुसार, कार्य पर ☐ 250.69 लाख की राशि व्यय हो चुकी थी। इस कार्य के ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार 1.692 किलोमीटर में 1200 एमएम ब्यास NP 3 पाइप को बिछाया जाना था किन्तु इसके सापेक्ष 8 अनुबंधों के द्वारा 1.748 किलोमीटर में पाइप को बिछाई गयी थी जिससे 36 sump well का भी निर्माण कराया गया था। अभिलेखों/अनुबंधों के अनुसार इस कार्य पर वास्तविक व्यय ☐ 190.57 (उक्त में Road cutting के 4.4 लाख सम्मिलित है) लाख प्रदर्शित होती है। इस प्रकार ☐ 60.12 लाख के अंतर के जांच के क्रम में यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत अंतरण प्रविष्टि (Transfer Entries) के द्वारा ☐ 44.96 लाख[1] राशि book की गयी थी जबकि सभी अनुबंधों का अंतिमिकरण कर दिया गया था और संबंधित को भुगतान किया जा चुका था। पुनः यह भी पाया गया था कि मार्च 2015 में ☐ 15.85 लाख की लागत से 1200 एम एम ब्यास की 283.50 मीटर लम्बी RCC NP3 पाइप का क्रय किया गया था जिसका उपयोग खंड द्वारा उक्त कार्य पर कहां किया गया था अभिलेखों में अंकित नही था। इस प्रकार, ☐ 60.12 लाख की राशि के व्यय के कारणो का विवरण ना ही किसी अभिलेख में प्रदर्शित हुआ है और ना ही लेखा परीक्षा अवलोकन के उत्तर में खंड द्वारा अवगत कराया गया था। इस प्रकार वास्तविक व्यय से ☐ 60.12 लाख अधिक व्यय प्रदर्शित करना जो कि निधि की व्ययवर्तन थी व औचित्य पूर्ण नहीं था।

अतः ☐ 60.12 लाख अधिक व्यय प्रदर्शित करना जो कि निधि की व्ययवर्तन थी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[1] Doon canals ₹ 38,09,000 and Construction of Auarakli canal ₹ 687538.00

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः2- अनौचित्य पूर्ण व्यय ☐ 74.38 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 402/XVIII-(2)/एफ/14-12 (07)/2014 दिनांक 14 मार्च 2014 के द्वारा तीन योजनाओं यथा जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में त्रिवेणीघाट आस्थापथ, एवं आमबाग नाले की बाढ़ सुरक्षा योजना को सम्मिलित करते हुए ☐ 904.18 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि इस कार्य को तात्कालिकता के आधार पर किया जाए। इन योजनाओं में से एक योजना (आमबाग वाले नाले की बाढ़ सुरक्षा योजना) अधिशासी अभियन्ता, परियोजना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश द्वारा संपादित की गयी थी जबकि शेष दो योजना सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा संपादित की गयी थी। इन दो योजनाओं में से एक योजना ""reconstruction of damaged part of Astha Path on the bank of river Ganga at Rishikesh" थी जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 19 सितम्बर 2014 को ☐ 416.69 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस पथ के तीन स्थानो यथा Chainage 0.95 किमी., 1.285 किमी तथा 1.395 किमी को क्षतिग्रस्त के रूप चिन्हित किया गया था तथा तदनुसार, 0.95 किमी - 1.125 किमी (0.175 किमी), 1.285 किमी- 1.320 किमी (0.035 किमी) तथा 1.395 किमी - 1.445 किमी (0.05 किमी) तथा कुल 0.26 किमी में क्षतिग्रस्त पथ को ठीक किया जाना था।

अभिलेखों के अनुसार, अधिशासी अभियन्ता के द्वारा मई 2014 में आठ अनुबंध ☐ 399.75 लाख की लागत से गठित किए गए थे। अनुबंधानुसार कार्य को 45 दिनों के अन्दर जुलाई 2014 में पूर्ण किया जाना था परन्तु कार्य मार्च 2015 एवं मई 2015 में ☐ 318.03 लाख की लागत से पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात, उपखण्डीय स्तर से जून 2015 एवं नवम्बर 2015 में 13 अनुबंध गठित किए गए थे। 13 अनुबंधों में 10 अनुबंधों के द्वारा ☐ 47.02 लाख (☐ 51.22 लाख - ☐ 4.20 लाख जिससे railing का कार्य कराया गया था को छोड़ कर) का कार्य उन्ही chainage पर कराये गए थे जिन chainage पर कार्य अधिशासी अभियन्ता के द्वारा गठित अनुबंधों से कराया गया था। शेष तीन अनुबंधों के द्वारा ☐ 27.36 लाख की लागत से कार्य वैसे chainage, जिसका उल्लेख प्राक्कलन में नहीं था, पर किया गया था जो कि निधि की व्ययवर्तन थी। इस प्रकार ☐ 74.38 लाख (☐ 47.02 लाख + ☐ 27.36 लाख) का व्यय औचित्य पूर्ण नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों को इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा यह बतलाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित अनुबंध से मुख्य मार्ग निर्माण का कार्य कराया गया था जबकि उपखण्डीय स्तर पर भी गठित अनुबंध से भी वही कार्य कराये गए थे। पुनः प्राक्कलन से इतर अन्य chainage पर ☐ 27.36 लाख का कार्य कराये जाने के संबंध में खण्ड द्वारा बतलाया गया कि यह कार्य उच्चाधिकारियों के आदेश पर कराया गया था।

उपरोक्त तथ्यों को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा विरोधाभाषी उत्तर दिये गये थे और प्राक्लन से इतर अन्य chainage पर ☐ 27.36 लाख का कार्य कराये जाने के संबंध में उच्चाधिकारियों के आदेश के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः 3- ` 9768 के income tax को ठेकेदार से वसूल न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून की विविध प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की जांच मे पाया गया कि ` 9768 की धनराशि ठेकेदार बिल से income tax नही काटने के कारण माह अप्रैल 2010 से असमायोजित पड़ी थी जिसको नियमानुसार भुगतान के समय ही बिल से कटौती कर राजस्व के रूप मे सरकारी खाते मे जमा किया जाना चाहिए था किन्तु खण्ड द्वारा ऐसा नही किया गया। इसके अतरिक्त **` 10.29 लाख** की धनराशि 05 व्यक्ति/फ़र्मों के नाम से विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप मे असमायोजित पड़ी थी, जिसमे से **` 9.12 लाख की धनराशि** निक्षेप कार्य पर माह अप्रैल 2007 मे आइटम सं.68/213 एवं माह अप्रैल 2010 मे आइटम सं.08/10 पर हुए व्याधिक्य के कारण श्री D.N. Dwivedi AE-IV एवं श्री Puran Singh Deori AE-III के नाम विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप असमायोजित पड़ी थी। जिसकी लेखापरीक्षा तक वसूली नहीं की जा सकी थी अथवा असमायोजित पड़ी हुई थी।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिवश ठेकेदार बिल से **income tax की कटौती छूट गयी है** तथा वसूली हेतु पत्राचार जारी है **` 9.12 लाख के सम्बन्ध मे** स्वीकार किया गया कि कार्य मे व्यय अधिक होने के कारण व्ययाधिक्य की वसूली संबन्धित अभियंता के नाम प्रकीर्ण अग्रिम मे डाला गया है जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI कण्डिका 580 में स्पष्ट उल्लेख है कि निक्षेप कार्य पर उस कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किन्हीं अवस्था में नहीं किया जाना चाहिए।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार बिल से income tax की कटौती न किए जाने सम्बन्धी प्रकरण को 6 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने के उपरांत भी ठेकेदार से income tax की वसूली नही की गयी है और न ही संबन्धित ठेकेदार को Blacklist किया गया है तथा न ही खण्ड द्वारा ठेकेदार से income tax की वसूली हेतु किए पत्राचार सम्बन्धी दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए है।

अतः **` 9768 के income tax की ठेकेदार से वसूली न किए जाने अवम ` 9.12 लाख के** प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली का `प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
12/2003-04	–	0	1	1
20/2004-05	–	0	1,2	2
45/2005-06	–	0	1	1
56/2006-07	–	0	1, 2, 3	3
39/2007-08	1	1	1,2,3,4,5	5
65/2008-09	1	1	1,2,3,4,5	5
89/2010-11	–	0	1, 2, 3	3
78/2011-12	–	0	1,2	2
57/2013-14	1	1	1	1
71/2015-16	.	0	1,2,3	3
कुल		3		26

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record. Para No.1 and 3 of IR No.80/2015-16 were settled by the office of Accountant General (Audit), Uttarakhand, Dehradun.

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनिस्तारित प्रस्तरों के संबंध में, खंड द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तरलेख कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा), देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(1)	श्री आर.के.तिवारी	अधिशासी अभियंता	विगतलेखापरीक्षासे अब तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एच.एस.रावत	वरिष्ठ खंडीय लेखाकार	विगत लेखापरीक्षा से 29 जुलाई 2016
2.	श्री के एस राणा	वरिष्ठ खंडीय लेखाकार	30 जुलाई 2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-2) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2